


सं. 21/145/2013-एम एंड जी

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

सेवा में

श्री आनंद कुमार वर्मा,
8/22, किंग मार्ग, बवाल टोली,
हमीरपुर, उत्तर प्रदेश



एन डी सी सी-॥ भवन, जयसिंह रोड,
नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2013

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मांगी गई सूचना प्रदान करना।

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय पर आपके दिनांक 05.09.2013 के दो आवेदनों का उल्लेख करना है।

2. इस मंत्रालय के नोडल प्लाइंट के रिकार्ड के अनुसार, आपका दिनांक 04.07.2013 का पत्र/याचिका इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, राज्यसभा के सदस्य के तौर पर नामांकन के लिए आपका अभ्यावेदन/ याचिका अग्रेषित करने संबंधी उपराष्ट्रपति सचिवालय का दिनांक 22/2/2013 का पत्र इस कार्यालय में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्राप्त हुआ है।

3. इस संबंध में, यह उल्लेख किया जाता है कि उचित कार्रवाई किए जाने हेतु सीधे कार्यालय में प्राप्त राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति सचिवालय, मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के माध्यम से अग्रेषित अन्य अभ्यावेदनों/याचिकाओं सहित, आपके अभ्यावेदन/याचिका को राज्य सभा में नामांकन हेतु विचार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया गया था। तथापि, आपका नाम शार्टलिस्ट नहीं किया गया है। इस संबंध में यह की नोट किया जाए कि राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति सचिवालय द्वारा उचित कार्रवाई हेतु इस मंत्रालय को याचिका अभ्यावेदन का अग्रेषण राज्य सभा में नामांकन के लिए आदेश नहीं है।

4. इस संबंध में उचित प्राधिकारी का नाम श्री एस. सुरेश कुमार, संयुक्त सचिव (सी एस), एवं प्रथम अपील प्राधिकारी, गृह मंत्रालय, एन डी सी सी-॥ भवन, जयसिंह रोड, नई दिल्ली हैं।

संलग्नक: यथोपरि

clc

भवदीय,

श्री अशुतोष जैन
(आशुतोष जैन)

निदेशक (सी एस-॥) एवं
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
दूरभाष: 23438147

प्रतिलिपि सूचनार्थ अग्रेषित:-

श्री एस.सामंत, अवर सचिव, आर टी आई प्रकोष्ठ, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को उनके दिनांक 04.10.2013 के पत्र सं. ए-43020/01/2013-आर टी आई के संदर्भ में।

17/10/2013
27/11/13

(२)

सेवा में (प्रावीनमपल) (अन्तर्जाल आवश्यक / अलिक्षण) (पंजीकृत) (जकड़े)

श्रीगुह गृह सचिव, गृह मन्त्रालय,
भारत सरकार, नार्थ ब्लाक,
नई दिल्ली।

विषय:- राष्ट्रपति सचिवालय के अध्रेषण पत्र संख्या आईडी०नम्बर-१७-सीए(१)/२०१२ अन्तर विभागीय आदेश द्वारा केन्द्रीय गृह सचिव, गृह मन्त्रालय भारत सरकार को अध्रेषित कर दिया गया है। जिसे केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी सौरभ विजय तथा गृह मन्त्रालय के ज्वाइट सेक्रेटरी (सीएस) एस० सुरेश कुमार द्वारा प्रमाणित किया गया है प्रार्थी आनन्द कुमार वर्मा पुत्र श्री गया प्रसाद वर्मा निवासी ४/२२ किंग रोड ग्वालठोली, हरिपुर उ०प्र० मनोनीत राज्य सभा सदस्य (सांसद) पद की शपथ दिलाने हेतु सभापति (उप राष्ट्रपति) जी से दिलाने हेतु समुचित कार्यवाही की जाय।

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि नामांकन अनुच्छेद ८०(१)(क) के तहत किया गया है। जिसमें अनुच्छेद के खण्ड-३ के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्य सभा हेतु १२ सदस्यों को नामांकित किये जाने का प्राविधान है। अनुच्छेद-८०(३) में यह उल्लेख किया गया है गि खण्ड-१ के उपखण्ड (क) के तहत राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किये जाने वाले सदस्य उन व्यक्तियों में से होगे जिन्हे निम्न लिखित ऐसे भागलों नामतः साहित्य, विज्ञान, कला तथा सामाजिक सेवा का विशेष ज्ञान प्राप्त हो अथवा इन विषयों का व्यवहारिक अनुभव हो। दिनांक ३०-०५-२०१२ को एस० सुरेश कुमार, संयुक्त सचिव, (सी०एस०) गृह मन्त्रालय द्वारा राष्ट्रपति सचिवालय के पत्र को रिसीव किया गया तथा हस्ताक्षर से प्रमाणित किया गया है। अन्तर विभागीय पत्र संख्या-१७-सीए(१)-२०१२ व ०३४५/आर.टी.आई./०५/११-१२ सूचना का अधिकार के द्वारा यह जानकारी में आया है कि प्रार्थी आनन्द कुमार वर्मा को राज्य सभा सदस्य पद हेतु नामांकन किया गया है।

कृपया प्रार्थी को उप राष्ट्रपति जी से शपथ दिलाये जाने हेतु समुचित कार्यवाही करे। अभी तीन सदस्यों के पद खाली हैं।

अति महान् दया होगी।-

सलग्नक-

- १-पत्र संख्या-०३४५ आर.टी.आई./०५/११-१२ राष्ट्रपति सचिवालय (आर.टी.आई.)
अनुभाग के आदेश की फोटो प्रति।
- २- राष्ट्रपति सचिवालय के आईडी नम्बर-१७-सीए-१/२०१२, चयनित पत्र की फोटो प्रति।
- ३- उप राष्ट्रपति सचिवालय का आदेश संख्या-फाईल
संख्या-वीपीएस-२२/०२/२०१३ (P)

दिनांक - २७/२/२०१३

भवदीय

आनन्द कुमार वर्मा
(आनन्द कुमार वर्मा),

पुत्र श्री गया प्रसाद वर्मा,
निवासी

८/२२ किंग रोड ग्वालठोली
हरिपुर।

SI BARIPUR HO ०१०३०
A RUS 322096551N
Counter Regt, GP-Cede: ०६
SRI YUT KENDRIYA, GPO SACHIV VARISTI
New Delhi C.P.O., PIN: 110001



wt: 20 grams,
RS: 22.00, 04/07/2013, 12:50
<<Have a nice day>>